न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :–64 / 2024 / पत्थरगढी

1. रमेश कुमार पुत्र महादेव
2. सुरजमल पुत्र महादेव
3. कंचन देवी पत्नी महादेव
4. महेश कुमार पुत्र महादेव
5. समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. कपूरचंद सैनी पुत्र रामनारायण सैनी जाति माली निवासी 876 जमुना डेयरी सोडाला जयपुर।

— — — प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र जौहरीलाल
2. राधेश्याम पुत्र जौहरीलाल
3. पानफूल देवी पत्नी मोहनलाल
4. मुकेश कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल
5. कोमल नाबालिग पुत्री मोहनलाल जरिये संरक्षिका माता पालफूल देवी समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. जुगल किशोर मौर्य पुत्र हनुमान सहाय जाति रैगर निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111
भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक...21.04.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम रोजदा, तहसील आमेर, हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 2.8050 हैक्टे0 स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 779 रकबा 1.92 है0 के अप्रार्थी सं0 1 ता 5 रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। ख0नं0 780/1 रकबा 0.2550 हैक्टे0 का अप्रार्थी सं0 6 रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की खतेदारी के ख0नं0 780 की दक्षिणी दिशा में स्थित ख0नं0 779 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 ता 5 सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है।

उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 15.07.2019 को किया जा चुका है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खसरा नम्बर 780 रकबा 2.8050 हैक्टे0, वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर ग्रामीण

रोजदा, तहसील आमेर हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश मय पुलिस इमदाद फरमाये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार जालसू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो उनके पत्रांक/भू0अ0/2024/2834 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा भिजवायी गयी। जिसके अनुसार ग्राम रोजदा के ख0नं0 1514/780 रकबा 0.3570 हैक्टे0 की खातेदारी कंचन देवी पत्नी महादेव हि0 2/7, मुकेश कुमार, रमेश कुमार, सूरजमल पुत्र महादेव जाति कुमावत सा0देह ख0नं0 1515/780 रकबा 1.5780 हैक्टे0 कि खातेदारी कपूरचन्द सैनी पुत्र रामनारायण सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 जयपुर खातेदारी, ख0नं0 1516/780 रकबा 0.87 है की खातेदारी मुकेश पुत्र महादेव हि0 1/3 वाहिन दस्तूर रमेशचन्द पुत्र महादेव हि0 1/3, सूरजमल पुत्र महादेव हि0 1/3 जाति कुमावत सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। जबकि उपरोक्त वाद में ख0नं0 780 रकबा 2.8050 हैक्टे0 सहखातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में उक्त ख0नं0 780 का विभाजन हो जाने से सीमाज्ञान दिनांक 15.07.2019 के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त वाद धारा 128 भू राजस्व अधिनियम वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाहीका दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये सीमाज्ञान के अनुसार खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस का मनन किया, अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार है, जिन्होंने दिनांक 15.07.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी पालना में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिससे प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामपुरा डाबडी को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 780 रकबा 2.8050 वाके ग्राम रोजदा, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित भूमि की फीस पत्थरगढी प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व हितबद्ध एवं पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार जालसू को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
रामपुराडाबडी (जिला जयपुर ग्रामीण)
जयपुर